

राजस्थान सरकार  
जल संसाधन विभाग

क्रमांक-प.27(13)ओएसडी/ज.सं./98-iv

जयपुर, दिनांक 31.8.2009

:: आदेश ::

यतः कि जिला कलक्टर से प्राप्त विशेष गिरदावरी रिपोर्ट संवत् 2088 के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा 26 जिलों के 32833 गांवों को अधिसूचना दिनांक 26.8.2009 के अन्तर्गत अभावग्रस्त घोषित किया है। (सूची संलग्न)

यतः कि राज्यस्तरीय आपदा प्रबन्धन टास्कफोर्स की बैठक दिनांक 26.8.2009 में लिये गये निर्णयानुसार आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.8.09 के अन्तर्गत 26 जिलों के 32833 गांवों में आबियाना शुल्क की वसूली 15 जुलाई, 2010 तक स्थगित की जाती है।

इस हेतु वित्त विभाग की आईडी संख्या 100903713 दिनांक 31.8.2009 द्वारा सहमति प्राप्त कर ली गई है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

आज्ञासे

(एन.पी.शर्मा)

शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, मा. जल संसाधन मंत्री राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, मा. जल संसाधन राज्य मंत्री जयपुर
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ज.सं. विभाग
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
9. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय जयपुर
10. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व विभाग)
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायत राज विभाग
12. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/उदयपुर/को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अपने अधीन समस्त जिलों से उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत राजस्व हानि की सूचना एकत्रित कर संभागीय स्तर पर संकलित कर विभाग को प्रेषित करने का श्रम करें।
13. मुख्य अभियन्ता, ज.सं. राजस्थान जयपुर/माही/हनुमानगढ़/बीसलपुर/सचिव, इंगानम जयपुर।
14. समस्त जिला कलक्टर,
15. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग
16. निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर
17. रक्षित पत्रावली

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

शासन उप सचिव,